

**FORM NO. III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

दिनेश कुमार

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा:-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट

मु.नं.एवं सन 56/2026

समर्पित भूमि को राजस्व में रिकॉर्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
06.03.26	<p>प्रार्थी का प्रार्थना समर्पित भूमि को राजस्व में रिकॉर्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत् प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के नाम से चक 7 एसएसएम मु0नं0 47/52 के किला नं0 21/2 में 0.223 है0, 22 में 0.2529 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जिसमें से प्रार्थी ने मु0नं0 47/52 के किला नं0 22 में 0.1371 है0 अर्थात् 1371 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु राजहक में समर्पण कर अराजीराज दर्ज करवा दिया है तथा प्रार्थी के द्वारा समर्पण भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित करवाना चाहता है। प्रार्थी के तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए उक्त समर्पण भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित करने का निवेदन किया है।</p> <p>प्रकरण धारा 251 ए आरटीएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार खाजूवाला के समर्पण आदेश क्रमांक 1492 दिनांक 11.11.25, आधारकार्ड, जमाबंदी आदि का अवलोकन किया गया। अवलोकनानुसार प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित चक 7 एसएसएम मु0नं0 47/52 के किला नं0 22 में 0.1371 है0 भूमि का समर्पण किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है। अतः उक्त चक 7 एसएसएम मु0नं0 47/52 के किला नं0 22 में 0.1371 है0 समर्पण भूमि(अराजीराज) को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते हैं। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की प्रति तहरीर जारी कर भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिलदफ़्तर हो। आदेश आज सरे इजलास सुनाया।</p>	